भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत दस रुपये TEN

(146)

न्यायालय माननीय बोर्ड आफ रेवेन्यू ग्वालियर म०प्र०

संतोष प्रसाद तनय जगदीश प्रसाद पाठक R 1523-II/12
निवासी ग्राम सेमरा गोपालमन
तहसील व जिला सागर (म०प्र०)

---- आवेदक

बनाम

सियारानी बेवा स्व० फुलू सौंर
निवासी सेमरागोपालन तहसील व जिला
सागर म०प्र०

-- अनावेदिका

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू० रा०संहिता

B.O.R.

26 APR 2012

श्री ... द्वारा प्रस्तुत
कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म. प्र.)

आवेदक निम्नलिखित प्रार्थना करता है :-

(1):- यह कि आवेदक उक्त निगरानी आदेश विद्वान अनुविभागीय अधिकारी महोदय सागर के प्रकरण क्रमांक 153-अ/6/09-010 आदेश दिनांक 9-1-2012 से पीड़ित होकर कर रहा है ।

(2):- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है , अनावेदिका द्वारा एक अपील नायब तहसीलदार जैसीनगर जिला सागर के आदेश दिनांक 19-5-98 से पीड़ित होकर विद्वान अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहां की थी जिसमें अनावेदिका द्वारा अपने आवेदन में स्पष्ट किया था कि अपीलार्थी के पति ने दिनांक 31-5-94 के बैनामा का प्रमाणीकरण नहीं कराया भूमि खसरा नंबर 49/2 रकवा 4-74 एकड़ भूमि थी बंटवार हरिनारायण द्वारा दिनांक 24-4-97 को आवेदक के लिए जो पुराना खसरा नंबर 49/2 था नया खसरा नंबर बंदोबस्त में 150, 154, 155 रकवा क्रमश: 1-46, 0-60 हेक्टेयर कर दिए गए उक्त

5/8-5-12

8-5-12

4-5-12

संतोषप्र० पा०

क्रमश०-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1523-एक/2012 जिला सागर

संतोषप्रसाद विरूद्ध सियारानी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
08-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सागर जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 153/अ-6/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 09-01-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) 08/3/19 सदस्य	